

पत्रांक-01/स्था0-01/2020 397


/रांची, दिनांक- 16/03/2020

आदेश

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-62(13) दिनांक-16.03.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ लिया जाय। कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने एवं उसके बचाव के संबंध में इस विभाग के अन्तर्गत संचालित संस्थानों एवं कार्यालयों के विषय में तत्काल निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

- I. झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों, यथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कोचिंग संस्थानों/अभियंत्रण संस्थानों/पोलिटिकनिक संस्थानों/प्रबंधन संस्थानों/आर्किटेक्चर कॉलेज/बी0एड कॉलेज/विधि महाविद्यालय/फैशन डिजाईनिंग संस्थानों/राज्य के सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षाएं दिनांक 14.04.2020 तक बन्द रखी जायेंगी। सभी निजी एवं सरकारी संस्थानों के छात्रावास तत्काल प्रभाव से दिनांक 14.04.2020 तक बन्द रखे जायेंगे। इस अवधि में पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं एवं परीक्षा के मूल्यांकन कार्य यथावत जारी रहेंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा कक्षों की उचित साफ-सफाई तथा बेंच एवं कुर्सी को उचित तरीके से "डिस्इन्फेक्टेड" करने की व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं के द्वारा की जाय।
- II. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी गैर जरूरी सम्मेलन, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फेंस आदि दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रखे जायेंगे।
- III. सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी संबंधित संस्थानों में कार्यावधि में उपस्थित रहेंगे। तात्कालिक व्यवस्था के तहत उक्त कर्मी उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति दर्ज करेंगे। इस अवधि में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली बन्द रहेगी।


इसे अति आवश्यक समझा जाय।

  
16/3/2020  
(शैलेश कुमार सिंह)  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापक:-01/स्था0-01/2020 397

/रांची, दिनांक:- 16/03/2020

प्रतिलिपि:-सभी कुलपति, राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय/सभी प्राचार्य, निजी, संबद्धता प्राप्त एवं राजकीय महाविद्यालय/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटिकनिक/राजकीय महिला पोलिटिकनिक/सभी निजी अभियंत्रण संस्थान/पोलिटिकनिक संस्थान/निदेशक, प्रबंधन संस्थान/सभी राजकीय एवं निजी विधि महाविद्यालय/सभी निजी, संबद्धता प्राप्त एवं राजकीय बी0एड0 महाविद्यालय/आर्किटेक्चर महाविद्यालय/होटल प्रबंधन संस्थान/फैशन डिजाईनिंग संस्थान/सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/3/2020  
(शैलेश कुमार सिंह)  
सरकार के प्रधान सचिव